राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि.
नेहरू सहकार भवन, तृतीय तल, 22 गोदाम, जयपुर
E-mail : gmscdcho@gmail.com Ph. No. 0141-2740745, 2740544 Fax No. 0141-2740880

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत संचालित योजनाएं (केवल अनुसूचित जाति हेतु)

विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु अनुदान इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा राशि रुपये 10,000/– में जो भी कम हो, उपलब्ध कराया जाता है। अनुदान हेतु शत–प्रतिशत राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। यह राशि अनुसूचित जाति उप योजना (Scheduled Castes Sub Plan) शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होती है।

आवेदक की पात्रताएँ –

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हो।
2. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष (गैर बैंकिंग योजना में अधिकतम आयु 65 वर्ष) होनी चाहिए।
3. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हो अथवा वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में रू. 54,300/– तथा शहरी क्षेत्र में रू. 60,120/– से अधिक नहीं हो, अथवा उक्त आय के समकक्ष।
4. आवेदक द्वारा पूर्व में अनुजा निगम की किसी भी योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया गया हो।
5. आवेदक पर किसी ऋणदात्री संस्था/निगम/बैंक अथवा सरकार का अवधिपार ऋण बकाया नहीं होना चाहिए।

I. बैंकिंग योजना–

आवेदक शहरी क्षेत्र हेतु संचालित योजनाओं के लिए नगरपालिका/नगरपरिषद्/नगर निगम तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु संबंधित पंचायत समिति से निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकता है। आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ पूर्ण कर नगर पालिका/नगर परिषद्/नगर निगम/पंचायत समिति अथवा सीधे ही संबंधित परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम कार्यालय में जमा करवाये जा सकते हैं तथा परियोजना प्रबन्धक प्राप्त आवेदन पत्र की संवीक्षा कर बैकों में ऋण स्वीकृति हेतु प्रेषित करते हैं। ऋण स्वीकृति के पश्चात् परियोजना प्रबन्धकों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत अनुदान की स्वीकृति जारी की जाती है। बैंकिग योजना में निम्न गतिविधियों के लिए आवेदन किया जाता है।

1. **पैकेज ऑफ प्रोग्राम योजना (शहरी एवं ग्रामीण)** :– शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकतानुसार लघु एवं मध्यम श्रेणी के ऋण नियमानुसार पात्र लाभार्थियों को बैंकों

के माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते हैं। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अन्य व्यवसायों की भांति बकरी पालन व्यवसाय के लिए भी ऋण दिलाया जा सकता है। जिसमें दो बकरियों की एक इकाई (यूनिट) बनाकर बैंक से ऋण दिलाया जा सकता है।

2. **ऑटोरिक्शा/ई–रिक्शा योजना** :– ऑटोरिक्शा/ई–रिक्शा इकाई हेतु लागत कोटेशन के अनुसार स्वीकृत की जाती है, जिसके विरूद्ध लागत का 90 प्रतिशत तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है, शेष राशि आवेदनकर्ता को स्वयं वहन करनी होती है।

3. **व्यक्तिगत पम्पसैट योजना** :– लघु एवं सीमांत कृषकों को स्वयं/सहखातेदार की भूमि पर सिंचाई के साधन विकसित करने की दृष्टि से पम्पसैट मय सहायक सामग्री के उपलब्ध कराये जाते हैं, जिसके लिए ऋण आवेदको को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। पम्पसेट की लागत के अनुसार बैंको से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

4. **उन्नत नस्ल गाय/भैंस/बकरी योजना** :– डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए उन्नत नस्ल की गाय/भैंस/बकरी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। योजना की इकाई लागत नाबार्ड द्वारा निर्धारित की जाती है। गाय/भैंस/बकरी को रखने हेतु शेड का निर्माण स्वयं लाभार्थी द्वारा कराया जाता है। डेयरी कार्यक्रम को चलाने के लिए उन्नत नस्ल की भैंस/गाय/बकरी हेतु राशि बैंक ऋण से उपलब्ध करायी जाती है। नाबार्ड द्वारा निर्धारित की गई इकाई लागत की राशि के अनुसार बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत किया जावेगा।

5. **मुद्रा ऋण योजनाः–** जिन अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों द्वारा मुद्रा योजना के तहत ऋण लिया गया है, उन्हे भी वर्ष 2018–19 से उक्त योजना में 10,000/–रूपये का अनुदान स्वीकृत किया जावेगा।

II गैर बैकिंग योजना –

इस योजना में आवेदक को केवल ईकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 10,000/– का अनुदान विशेष केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। गैर बैंकिंग योजनाओं में आवेदन पत्र शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम से निःशुल्क प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेज के साथ उसी कार्यालय में जमा कराए जा सकते है तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचायत समिति से आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर उसी पंचायत समिति में आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाए जा सकते हैं। नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम/पंचायत समिति द्वारा आवेदन पत्रों की जांच कर स्वीकृति हेतु संबंधित जिला परियोजना प्रबन्धक अनुजा निगम को भिजवाए जाते हैं अथवा निगम के जिला कार्यालय से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित निगम कार्यालय में जमा करवाए जा सकते हैं। जिला परियोजना प्रबंधक द्वारा नियमानुसार विशेष केन्द्रीय सहायता योजना में अनुदान की राशि रू 10,000/– स्वीकृत की जाती है।

1. **कार्यशाला/दुकान योजना** :– योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिन्हें पारम्परिक शिल्प में प्रशिक्षण प्राप्त हो या पारम्परिक रूप से शिल्पकार/दस्तकार हों, वे ही इस योजना के लिए पात्र हैं। प्रार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये जिस पर वह कार्यशाला/दुकान बनाना चाहता है। कार्यशाला के निर्माण करने पर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत रू 10,000/– का अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

2. **कूप विद्युतीकरण/सौर उर्जा योजना :–** कृषकों के कुओं का विद्युतीकरण करने में सहायता प्रदान कर सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने के उद्धेश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है। कृषि भूमि लाभार्थी के स्वयं के नाम से हो अथवा लाभार्थी स्वयं कृषि भूमि का खातेदार सह खातेदार होना चाहिए। लाभार्थी लघु/सीमान्त कृषक की परिभाषा में आता हो एवं स्वयं का कुंआ हो, वह इस योजना का लाभ लेने का पात्र है। कुओं का विद्युतीकरण कराने पर विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अन्तर्गत रू 10,000/– का अनुदान दिया जाता है।

3. **आधुनिक कृषि यंत्र योजना :–** कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन करने के उद्देश्य से आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाला व्यक्ति लघु/ सीमांत कृषक होना चाहिए। कृषक अपनी आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक किस्म के आधुनिक कृषि यंत्र अनुदान पर ले सकता है लेकिन अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये 10,000/– होगी।

4. **बकरी पालनः–** योजनान्तर्गत बकरी पालन के लिए यदि अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों द्वारा स्वयं के स्तर पर एक या दो बकरी क्रय की जाती है, तो इकाई लागत का (दो बकरियों की एक इकाई) 50 प्रतिशत अथवा राशि रूपये 10,000/– में से जो भी कम हो का अनुदान स्वीकृत किया जावेगा। इस योजनान्तर्गत क्रय की गई बकरी का दो वर्ष तक बैचान नहीं किया जा सकेगा।